

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (रामगंगा)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश, कानपुर


पत्रांक: 3633/मु030/रामगंगा/अनापत्ति/

दिनांक : कानपुर : सितम्बर 26, 2020

कार्यालय-ज्ञाप


अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, अलीगढ़ के पत्रांक 2757/सिकामंअ/ ~~मन्सूर~~ अनुमति, दिनांक 11.09.2020 द्वारा, Setting up of 2x660MW Jawaharpur Thermal Power Plant of UPRVUNL at Etah, U.P.- Rail connectivity between Etah to Jawaharpur Thermal Power Plant at District- Etah U.P हेतु ब्रिज निर्माण के लिए (निर्माण एजेन्सी RITES) अनापत्ति निर्गत करने की वांछना की गयी जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 3423/मु030/रामगंगा, दिनांक 11.09.2020 द्वारा प्रेषित प्रकरण पर मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक 258/अनिम-8/यू-6/ए-1अनापत्ति, दिनांक 25.09.2020 द्वारा प्रदान की गयी सहमति के आधार पर निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन एतद्वारा अनापत्ति प्रदान की जाती है :-


1. पुल का निर्माण कार्य नहर बन्दी अदधि में कराया जायेगा, पुल निर्माण हेतु कोई अतिरिक्त नहर बन्दी प्रदान नहीं की जायेगी।
2. कार्य प्रारम्भ से पूर्व कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि विभाग को सूचित किया जायेगा।
3. प्रस्तावित कार्य का विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है एवं इस कार्य हेतु कोई बलेम मान्य नहीं होगा।
4. कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति के बाद कोई मलदा सर्विस रोड पर न रहे।
5. कार्य सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता की देखरेख में न होने पर अनापत्ति प्रमाणपत्र निरस्त मान लिया जायेगा।
6. नहर पर प्रस्तावित गार्डर ब्रिज के दायें व बायें पार्श्व के अपरट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में बैंक सुरक्षात्मक कार्य कार्यदायी संस्था को करना अनिवार्य होगा।
7. उक्त सेतु निर्माण में नहर का जल प्रवाह बाधित नहीं होगा।
8. सेतु निर्माण से नहर को कोई क्षति होती है तो उसके पुनर्स्थापना कार्य हेतु धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।
9. बेवर शाखा के उक्त चैनल पर संरक्षित वन क्षेत्र है, इस हेतु अलग से अनुमति वन विभाग से लिया जाये।
10. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, एटा को सूचित करना अनिवार्य होगा।
11. नहरीय क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि का स्वामित्व नहर विभाग का ही रहेगा।
12. प्रदान की गयी अनुमति अंतरणीय नहीं है।
13. कार्यस्थल पर सुरक्षा के सभी मापदण्ड अपनाये जायेंगे एवं साइन बोर्ड आदि अवश्य लगाये जायेंगे।
14. उपरोक्त शर्तों की अनुपालना अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, एटा द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी, यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाता है तो उक्त अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जायेगी।


(जी0सी0अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता(रामगंगा)

पत्रांक : 3633/1/मु030/रामगंगा/तदिनांक

- उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, अलीगढ़ को उनके पत्रांक ~~2757~~/सिकामंअ/ ~~मन्सूर~~ अनुमति, दिनांक 24.09.2020 के क्रम में।
 2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, एटा।
 3. संयुक्त जनरल मैनेजर/सी, राइट्स लिमिटेड, रीजनल प्रोजेक्ट आफिस, सीतापुर रोड, लखनऊ।


Ravi Shanker (Rajeev)
Executive Engineer
Civil Construction Division-I
2x660MW JTPP
Meerut-Etah


(जी0सी0अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता(रामगंगा)

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड एटा

सेवा में,

परियोजना मैनेजर/सी
13-के0एम0.माइलस्टोन,एन0एच0-24
सीतापुर रोड, लखनऊ।

पत्रांक २४) /सिखए/अनापत्ति 2018-19/ दिनांक-२४-१-१९
Subject- Setting-up of 2x660 MW Jawaharpur Thermal Power Plant of
UPRVUNAL at Etah, U.P.-Rail Connectivity between Etah to jawaharpur
Thermal Power plant at District Etah(U.P.).

संदर्भ-RITTES/PRO-LKO/JTPP/RT780-00018/VOL-II/660 Date 19.09.2018.


कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा
जवाहरपुर विद्युत तापीय परियोजना 2x660 मे0वा0 को रेल लाइन से जोडने हेतु बेबर ब्रान्च के
किमी021.050 पर एक नये गर्डर पुल के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की बांछना
की गयी है, इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि-

- 1.नहर की सेंटर लाइन एवं पानी का बहाव पूर्ववत होना चाहिए।
- 2.नहर के आन्तरिक सेक्शन में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाये।
- 3.नहर की बांयी पटरी सर्विस रोड/निरीक्षण बैंक जिस पर आवागमन सुनिश्चित कराने हेतु
आवश्यक व्यवस्था की जाये जो कि ड्रेनेज फ्री होना चाहिए।

अतः बेबर ब्रान्च के किमी0 21.050 पर नये गर्डर पुल बनाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र इस
प्रतिबंध के साथ निर्गत किया रहा है कि बेबर ब्रान्च के उक्त स्थान पर नहर के संलग्न कास
सेक्शन के डाटा को सम्मिलित करते हुए पुल की ड्राइंग एवं डिजायन की प्रति सक्षम अधिकारी से
अनुमोदित कराकर कार्य कराने के उपरान्त कार्य स्थल को साफ कर दिया जाय तथा किसी
प्रकार की सामग्री कार्य स्थल पर न छोडी जाये ताकि नहर संचालन के समय किसी प्रकार का
अवरोध नहर में न हो।


संलग्नक-कास सेक्शन 01 अदद।

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड एटा


Ravi Shanker (Rajeev)
Executive Engineer
Civil Construction Division-I
2x660MW JTPP
Meerut-Etah

PROPOSED X-SECTION OF BEWAR BRANCH AT KM-21.050 (APPROXIMATE)

SCALE: H:V = 1CM = 2.0M



Ravi Shanker

Ravi Shanker (Rajeev)
Executive Engineer
Civil Construction Division-I
2x660MW JTPP
MATHURA-ETAH

[Signature]
J.E. 25-01-2019
I.D.ETAH

[Signature]
A.E.I. 25-01-2019
I.D.ETAH

[Signature]
I.D.ETAH